तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-05-25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन उपरान्त हम वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली फैसल शुमार हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

दावा संख्या 72/2014 पीठासीन अधिकारी
दायरा दिनांक 21.11.2014 श्रीमती भावना सिंह(**RAS**)

बउनवान

प्रभूलाल आ0 श्री माधो लाल जाति मीना निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0। –वादी

बनाम

1.सोहनलाल पुत्र श्री माधोलाल जाति मीना निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

1/1. बाबूलाल आ0 सोहनलाल जाति मीना निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

1/2. सुखपाली बेवा सोहनलाल जाति मीना निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

1/3. लक्ष्मी पुत्री सोहनलाल पत्नी किशन गोपाल निवासी झूडबा तहसील रामपुरा जिला टोंक राज0।

2.रामेश्वर पुत्र श्री सूरजमल जाति मीना निवासी दोलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

2/1. मंजू बेवा रामेश्वर जाति मीना निवासी दौरतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

2/2. अनिल पुत्र रामेश्वर जाति मीना निवासी दौरतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

2/3. दिलीप पुत्र रामेश्वर जाति मीना निवासी दौरतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

2/4. सुज्जा पुत्र रामेश्वर जाति मीना निवासी दौरतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

2/5. आरती पुत्री रामेश्वर जाति मीना निवासी दौरतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

2/6. पूजा पुत्री रामेश्वर जाति मीना निवासी दौरतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

2/7.काजल पुत्री रामेश्वर जाति मीना निवासी दौरतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

– प्रतिवादीगण

वाद बाबत्स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थित

1.श्री बाला लाल बीडा – अधिवक्ता वादी
2. श्री अब्दुल सत्तार – अधिवक्ता प्रतिवादी सं 2/1 लगायत 2/7
3. अनुपस्थित(एकपक्षीय कार्यवाही) – प्रतिवादी सं 1

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

दिनांकः–28.05.2025

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि वाद व प्रतिवाद संख्या 1 के संयुक्त खाते की अपने पिता के समय की खसरा संख्या 315 मि0 रकबा 1.37है0, खसरा संख्या 316 रकबा 0.90है0, खसरा संख्या 317 रकबा 0.01है0, खसरा संख्या 318 रकबा 0.45है0, खसरा संख्या 319 रकबा 0.05है0, खसरा संख्या 320 रकबा 0.66है0 व खसरा संख्या 321 रकबा 0.44है0 कुल किता 7 रकबा 3.88है0 वाके ग्राम मुई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंदी में कुए से सिंचित कृषिभूमि है। कुआ खसरा संख्या 317 पर बना हुआ है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई है जिनके दोनों के पृथक पृथक मकान खसरा संख्या 319 में बने हुए है। उपरोक्त भूमि में से वादी प्रभूलाल ने प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा संख्या 315 मि0 रकबा 1.37है0 जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल के शामलाती कृषिभूमि की वादी ने क्रय कर लिया है किंतु राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक इन्द्राज नहीं होने से शामलाती अंकित है। खसरा संख्या 317 में बने कुए में पानी सुख जाने से वादी ने अकेले ने 20,000रु खर्च कर कुआ गहरा कराया है उक्त कुए पर वादी ने इलेक्ट्रिक पम्प सेट लगा रखा है। वाद पत्र में वर्णित कृषिभूमि शामलाति होने से तथा पिता के समय से चली आने से सम्पूर्ण अराजी पर वादी का संयुक्त कब्जा है और वादी ने खसरा संख्या 315, 316 व 318 में 150पेड़ आम के लगा रखे है व पिता की मृत्यु सन् 1992 के बाद से ही वादी व प्रतिवादी सं 1 अपनी सहमति से वादी 315,316,318 पर व प्रतिवादी सं 1 खसरा संख्या 320, 321 पर काश्त कर रहे है। दिनांक 06.07.1999 को प्रतिवादी सं 2 रामेश्वर उक्त वादी की उपरोक्त वर्णित जमीन पर आने का प्रयास किया तो वादी द्वारा पूछने व मना करने पर प्रतिवादी सं 2 ने जाहिर किया कि उसने वादी के सगे भाई प्रतिवादी सं 1 सोहनलाल से उसके आधे हिस्से की जमीन क्रय करना व्यक्त किया इस कारण जमीन पर आना चाहता हूं ऐसा व्यक्त करने पर वादी ने एतराज किया तो दोनों प्रतिवादीगण वादी में गाली गलोच करने लग गये और कहने लगे कि खसरा संख्या 319 में होकर प्रतिवादी रामेश्वर भी जमीन पर आयेगा, जायेगा और शामलात जमीन पर कब्जा करेगा जिसका प्रतिवादी संख्या 2 को कोई अधिकार नहीं है और न ही ऐसे कार्य में प्रतिवादी सं 1 को सहयोग करने का अधिकार है। उक्त भूमि शामलाती है तथा प्रतिवादी सं 2 परिवार का सदस्य नहीं है अपरिचित व्यक्ति है जो स्ट्रेजर है जिसने यदि प्रतिवादी सं 1 से उसका हिस्सा शामलाती भूमि में खरीद भी लिया है तब भी बिना विधिवत बंटवारा करवाये प्रतिवादी सं 2 को वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में रूकावट डालने तथा जमीन पर आने जाने का कोई अधिकार नहीं है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि न्यायालय से सहायत प्राप्त कर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करवाये कि प्रतिवादी सं 2 ताकत के बल पर वाद विषयक आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करें और न ही कब्जा करें यदि प्रतिवादी सं 2 ने प्रतिवादी सं 1 से शामलाती जमीन में से उसका हिस्सा खरीद भी लिया हो तो भी प्रतिवादी सं 2 बिना विधिवत बंटवारा करवाये वादी के कब्जे काश्त में कोई रूकावट, हस्तक्षेप नहीं करें और प्रतिवादी सं 1 इसमें प्रतिवादी सं 2 को कोई सहयोग नहीं करें। अन्त में वादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादी सं 1 व 2 आपसी सहयोग व षडयंत्र कर वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषिभूमि पर वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादी सं 2 कोई हस्तक्षेप रूकावट पैदा नहीं करें तथा प्रतिवादी सं 1 उसमें कोई सहयोग नहीं करें तथा प्रतिवादी सं 2 कब्जा करने का प्रयास नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर जर्ये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवाद संख्या 1 ने वादी का वाद पत्र में अंकित चरण स्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खसरा संख्या 320,321 पर काश्त करना व बैचान करना स्वीकार है। उक्त भूमि प्रतिवादी सं 1 द्वारा प्रतिवादी सं 2 रामेश्वर आ0 सुखमल जाति मीणा को सम्पूर्ण रूप से बैचान कर दी गई है जबकि उक्त वर्णित आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी सं 1 का सामलाती कब्जा अपने पिता के जीवनकाल से ही चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजी पर सिंचाई इन्द्राणी नहर से होती है तथा आने जाने का साधन भी नहर पर होकर ही है। प्रतिवादी सं 2 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी सं 2 की संयुक्त खातेदारी में होना स्वीकार है किन्तु वादी का सहखातेदार प्रतिवादी सं 2 बना चुका है। अन्य आक्षेप अंकित किया कि वादी व प्रतिवादी सं 2 सहखातेदार है और दोनों के मध्य बंटवारा होने में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मौके पर कब्जे के अनुसार ही बंटवारा किया जावे।

पत्रावली में उभयपक्ष द्वारा अपने जवाब में प्रस्तुत अभिकथनों के आधार पर तनकीयात कायम की गई। पत्रावली में उभयपक्ष के साक्ष्य करवाये गए। वादी की तरफ वादी पी0डब्लू 1 प्रभूलाल पुत्र माधोलाल व गवाह पी0डब्लू 2 रामप्रसाद पुत्र शंकर, प0डब्लू 3 कृष्ण मुरारी पुत्र कस्तुर चन्द की साक्ष्य शपथ पत्र पेश किए जिनके बयान लिए प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिहर की गई जो लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली की गई। वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदश–1 जमाबंदी सम्वत् 2052–55 खाता संख्या 72 वाके ग्राम मुई, प्रदर्श–2 रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 17.06.1999, प्रदर्श–3 अनरजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 02.05.2001, प्रदर्श–4 न्यायालय सहायक कलक्टर, केशवराय पाटन निर्णय दिनांक 12.05.1999 अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किए। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किए।

पत्रावली पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वाद विषयक आराजी वादी की पुश्तैनी भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं 1 सगे भाई है। कुआ खसरा संख्या 317 पर बना हुआ है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई है जिनके मकान खसरा संख्या 319 में बने हुए है। खसरा संख्या 317 में बने कुए में पानी सुख जाने से वादी ने अकेले ने 20,000रु खर्च कर कुआ गहरा कराया है उक्त कुए पर वादी ने इलेक्ट्रिक पम्प सेट लगा रखा है। वाद पत्र में वर्णित कृषिभूमि शामलाति होने से तथा पिता के समय से चली आने से सम्पूर्ण अराजी पर वादी का संयुक्त कब्जा है और वादी ने खसरा संख्या 315, 316 व 318 में 150पेड़ आम के लगा रखे है। प्रतिवादी सं 1 ने वाद विषयक आराजी का बिना बंटवारा कराए अपने हिस्से का बैचान प्रतिवादी सं 2 को कर दिया जो उचित नहीं है। सम्पूर्ण प्रश्नगत आराजी पर वादी का कब्जा है। वाद विषयक आराजी से संबंधित प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचराधीन है। वाद विषयक आराजी पर रिसवरी कायम की हुई है। वादी को कानूनन यह अधिकार प्राप्त है कि वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करें। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जावे। वादी ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 1996 Page no 148 Devilal@Dev shanker & ors vs Kamla Shanker & ors पेश किए। प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/7 के अधिवक्ता ने वादी की बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण के पिता रामेश्वर पुत्र सूरजमल द्वारा प्रतिवादी सं 1 सोहन लाल से वादी विषयक अराजी में निहित उसके हिस्से 1/2 को प्रतिवादी सं 1 को उचित प्रतिफल अदा करने के उपरांत जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1999 से क्रय की है। प्रतिवादीगण सदभावी क्रेता है। उक्त विक्रय पत्र किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण के पिता द्वारा प्रतिवादी सं 1 के कब्जे एवं सहखातेदारी की जमीन क्रय की गई है जिस अनुसार ही प्रतिवादीगण काबिज है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

वाद विषयक आराजी से संबंधित वादी द्वारा एक वाद विक्रय पत्र को निरस्त कराने बाबत् वाद संख्या 04/2005 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक क्रम–2 बून्दी पेश किया था जिसकों माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.05.2006 से वादी का वाद खारिज किया जा चुका है जिसकी सत्यापित प्रति पत्रावली में पेश है। वादी प्रभूलाल व अन्य द्वारा रामेश्वर व अन्य के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय बेंच जयपुर में प्रस्तुत अपील प्रकरण संख्या 82/2007 जिसे वादी द्वारा अपनी बहस में विचाराधीन बताया गया है को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.02.2024 से खारिज कर दी गई है जिसकी सत्यापित प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण वाद विषयक आराजी के सदभावी क्रेता है जिन्हें उक्त आराजी में वही अधिकार प्राप्त है जो प्रतिवादी सं 1 को प्राप्त है। प्रतिवादीगण वाद विषयक आराजी पर सहखातेदार की हैसियत से काविज है। प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2019(2) Page no 777 T. Ramalingeswara Rao(Dead) Thr. L.Rs. & Anr. Vs N. Madhava Rao & Ors., RLW 2007(2) RJ Page no 902 Rakesh Kumar vs Satyanarain & Ors.** पेश किए।

हमने उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यों के बयानों का आवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब हम तनकीवार निर्णय की ओर अग्रसर होते है जो निम्न प्रकार है–

1. **आया विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी एक के संयुक्त खाते की होकर बिना बटवारा करवाये प्रतिवादी संख्या दो को क्रयशुदा भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है?**

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। उक्त तनकी के प्रकाश में प्रदर्श–1 जमावंदी सम्वत् 2052–55 का अवलोकन किया गया जिसमें वाद विषयक अराजी पर सोहन लाल, प्रभूलाल पि0 माधोलाल जाति मीना सा0 सु0मण्डी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त जमावंदी में नामां संख्या 107 से विक्रेता सोहनलाल के स्थान पर क्रेता रामेश्वर पुत्र सूरजमल मीना का नाम दर्ज करने का नोट अंकित है। प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 के अवलोकन से यह सावित है कि प्रतिवादी सं 1 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित उसके हिस्से की जमीन का प्रतिवादी सं 2 को बैचान कीया है। प्रदर्श–3 अनरजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 02.05.2001 है जिसको साबित करने का भार वादी पर था जिसे साबित नहीं किया गया है। पी0डब्लू 1 वादी प्रभूलाल द्वारा अपने बयानों में यह कथन किया है कि उक्त वाद विषयक आराजी पैतृक है इसमें खातेदार साहनलाल व वह है। खसरा संख्या 319 में मेरा मकान बना हुआ है। प्रदर्श–1 में खसरा संख्या 315 में से आधा हिस्सा जून 1999 में मेरे भाई से मैंने खरीद लिया है। खसरा संख्या 315 में मेरे भाई का जो हिस्सा था उसे मैंने खरीद लिया है। रामेश्वर मेंरे परिवार का नहीं है। खसरा संख्या 317 में कुआ है जिसमें मोटर मैंने लगा रखी है। विवादित सम्पूर्ण भूमि पर मेरा कब्जा चला आ रहा है। मेरे पिता के मरने के बाद दोनों भाई आपसी सहमति से काश्त करते है। मेरे भाई ने ख0सं0 316,317,318,320 व 321 में से 1/2 हिस्सा रामेश्वर को बैचान किया है रिसीवरी में 5000रु प्रतिवर्ष सुरक्षा राशि जमा करवाकर ख0सं0 320, 321 की भूमि रामेश्वर जोतता आ रहा है। हम दोनो भाई जो अलग अलग काश्त करते आ रहे थे। गवाह पी0डब्लू 2 ने अपने बयानों में यह कथन किया कि वाद विषयक आराजी प्रभूलाल काश्त करते है तथा 5–6 बीघा पर विष्णु जैन काश्त कर रहे है। प्रभुलाल जी दो भाई है दूसरे का नाम सोहनलाल है। विष्णु जैन ने भूमि के पश्चिमी साईड में 6–7 बीघा भूमि पर कब्जा कर रखा है। विवादित आरजी के कितने खातेदार है मुझे पता नहीं है। सोहन जी के बैचान का मालूम नहीं है। पी0डब्लू 3 कृष्ण मुरारी ने कथन किया कि मैनें माधोलाल जी व प्रभूलाल जी को काश्त

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

करते देखा है। माधोलाल जी के दो लडके प्रभूलाल व सोहनलाल है इस भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त भूमि के पश्चिम ओर विष्णु जैन काश्त करते है। रामेश्वर को मैं नहीं जानता हुं। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह तथ्य अंकित किया है वादी व प्रतिवादी सं 1 अपनी सहमति से वादी 315,316,318 पर व प्रतिवादी सं 1 खसरा संख्या 320, 321 पर काश्त कर रहे है तथा वादी ने स्वय अपने बयानों भी यह अंकित किया है कि वाद विषयक आराजी पर पिता की मृत्यु के उपरान्त सहमति से अलग अलग काश्त करते आ रहे है जिससे यह साबित है कि वादी व प्रतिवादी सं 1 सहमति बंटवारे के आधार पर वाद विषयक भूमि पर काबिज थे यद्यपि पत्रावली में बंटवारा संबंधित लिखित दस्तावेज पेश नहीं किया लेकिन बंटवारे का तथ्य तो सुस्पष्ट है। वाद विषयक आराजी वादी व प्रतिवादी सं 1 के पिता माधोलाल की सम्पत्ति है जिसमें दोनों भाईयों को कानूनन बराबर–बराबर अधिकार प्राप्त है। यहां यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं 1 द्वारा रामेश्वर को मौखिक सहमति बंटवारे अनुसार ही वाद विषयक आराजी में निहित अपने हिस्सा 1/2 का बैचान किया है। माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक क्रम–2 बून्दी द्वारा भी उक्त भूमि से संबंधित प्रकरण में निर्णय दिनांक 06.05.2006 में वाद विषयक आराजी में प्रभुलाल व सोहनलाल में मध्य भूमि के बंटवारे के तथ्य को स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज किया गया है। प्रतिवादी सं 1 द्वारा वाद विषयक आराजी में निहित अपने हिस्सें का बैचान प्रतिवादी सं 2 मृतक रामेश्वर को किए जाने से उसकी हैसियत वाद विषयक आराजी पर सहखातेदार की है। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RLW 2007(2) RJ Page no 902 Rakesh Kumar vs Satyanarain & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि **"Entitlement of co-tenant to sell half share for which the land record existed in his favour. The appellant petitioner cannot be deprived from his one third share in disputed property as the saeller was competent to sell one third of his share. He is bonafied purchaser and he cannot be declare as trespasser."** प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण में चस्पा होते है। ऐसी स्थिति में यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

2. आया वादी प्रतिवादी दो के विरूद्ध विवादीत भूमि पर निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। उक्त तनकी के प्रकाश में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 का अवलोकन किया गया जिसमें उक्त आराजी की जमाबंदी में नामां संख्या 107 से विक्रेता सोहनलाल के स्थान पर क्रेता रामेश्वर पुत्र सूरजमल मीना का नाम दर्ज करने का नोट अंकित है। प्रतिवादी सं 2 मृतक रामेश्वर द्वारा प्रतिवादी सं 1 सोहनलाल से उसके हिस्से की जमीन जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई है जिसे वादी ने भी अपने अभिवचनों में स्वीकार किया है जिससे वह उक्त आराजी का सदभावी क्रेता है। प्रतिवादी मृतक रामेश्वर की उक्त भूमि में उसी हैसियत है काबिज है जो प्रतिवादी सं 1 सोहनलाल की थी। प्रतिवादीगण वाद विषयक भूमि पर सहखातेदार की हैसियत से काबिज है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRT 2019(2) Page no 777 T. Ramalingeswara Rao(Dead) Thr. L.Rs. & Anr. Vs N. Madhava Rao & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि **"Appellants purchased the land from one of the co-sharer by registerd sale deed- Injuction cannot be claimed against a co-sharer of the property."** प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर चस्पा होते है। वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण चस्पा नहीं होते है। वादी उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। अतः इस तनकी का निर्धारण वादी के विरूद्ध किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

3. आया विवादित भूमि के प्रतिवादी एक के हिस्से की कब्जे शुदा भूमि पर प्रतिवादी दो काबिज है अतः स्थायी निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं है?

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर एवं तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्ध निर्णित होने से यह तथ्य साबित है कि प्रतिवादी सं 2 मृतक रामेश्वर के कायम मुकामान प्रतिवादीगण प्रतिवादी सं 1 सोहनलाल की हिस्से की भूमि सदभावी क्रेता होने से सहखातेदार की हैसियत से काबिज काश्त है। एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा लाने का कानूनन अधिकारी नहीं है। अतः उक्त स्थिति में इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

4. अनुतोष।

वादी अपने हक की तनकी संख्या 1 व 2 साबित करने असफल रहे है जिससे वादी यहां कोई अनुतोष के अधिकारी नहीं है।

आदेश

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। वादी का वाद खारिज होने से वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 316, 317, 318, 320 व 321 कुल रकबा 2.46है0 वाके ग्राम मुई तहसील इन्द्रगढ़ के 1/2भाग 1.23है0 पर से प्रतिवादीगण(मृतक रामेश्वर के वारिसान) को कैश सिक्यूरिटी राशि जमा कराने से/रिसवरी कायम होने की स्थिती में उससे मुक्त किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को उक्तानुसार पालना बाबत् तहरीर जारी हो। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....लाखेरी.....

व इजलास.....श्रीमती भावना सिंह(आर0ए0एस).....

1. प्रभूलाल आ0 श्री माधो लाल जाति मीना निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

—वादी

बनाम

1.सोहनलाल पुत्र श्री माधोलाल जाति मीना निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

1/1. बाबूलाल आ0 सोहनलाल जाति मीना निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

1/2. सुखपाली बेवा सोहनलाल जाति मीना निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

1/3. लक्ष्मी पुत्री सोहनलाल पत्नी किशन गोपाल निवासी झूडबा तहसील रामपुरा जिला टोंक राज0। वगै0

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत 188 आर0टी0एक्ट

सन् .....

मुकदमा नम्बर 72/दावा/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .....हमारे.....व हाजिरी .....वादी अधिवक्ता श्री बाला लाल बीडा .....मिनजानिब मुद्दई रूबरू.....प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री अब्दुल सत्तार..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि— वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। वादी का वाद खारिज होने से वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 316, 317, 318, 320 व 321 कुल रकबा 2.46है0 वाके ग्राम मुई तहसील इन्द्रगढ़ के 1/2भाग 1.23है0 पर से प्रतिवादीगण(मृतक रामेश्वर के वारिसान) को कैश सिक्यूरिटी राशि जमा कराने से/रिसवरी कायम होने की स्थिती में उससे मुक्त किया जाता है। निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 05 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

दस्तखत

ओहदा

मुहर	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
मुद्दई			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
1.स्टाम्प अर्जीदावा			2.स्टाम्प अर्जी		
2.स्टाम्प वकालतनामा			3.महनताना वकील		
3.स्टाम्प वजह सबूत			4.खर्चा गवाहॉन		
4.महनताना वकील			5.फीस कमिश्नर		
5.खर्चा गवाहॉन			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
6.फीस कमिश्नर			7.मुत्तफरिक		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			मीजान		
मीजान					

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकैन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

2.रामेश्वर पुत्र श्री सूरजमल जाति मीना निवासी दोलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2/1. मंजू बेवा रामेश्वर जाति मीना निवासी दौरतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2/2. अनिल पुत्र रामेश्वर जाति मीना निवासी दौरतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2/3. दिलीप पुत्र रामेश्वर जाति मीना निवासी दौरतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2/4. सुज्जा पुत्र रामेश्वर जाति मीना निवासी दौरतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2/5. आरती पुत्री रामेश्वर जाति मीना निवासी दौरतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2/6. पूजा पुत्री रामेश्वर जाति मीना निवासी दौरतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2/7.काजल पुत्री रामेश्वर जाति मीना निवासी दौरतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
– प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)